SBI

भारतीय स्टेट बैंक

(भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत गठित)

कॉल ऑप्शन सूचना

जनता को जारी किए गए कुल मिलाकर रू.10,000 मिलियन के अनसिक्योर्ड नॉन–कान्वर्टिबल लोअर टियर II बॉण्ड्स (सिरीज़ 1 और 2) के प्रॉस्पेक्टस दिनांक 05.10.2010 के अनुसार बैंक के पास सिरीज़ 2 की बकाया मूलधन राशि पर कॉल ऑप्शन है जिसका प्रयोग वह आबंटन के डीम्ड डेट (यानी 04.11.2010 से) की दसवीं वर्षगांठ की पूर्णता पर एक बार किया जा सकता है जो कि आरबीआई द्वारा पूर्व स्वीकृति के अधीन है.

बॉण्डधारकों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि बैंक ने आईएसआईएन आईएनई062ए08025 वाले 04.11.2010 को जारी लोअर टियर खख बॉण्ड्स की सिरीज़ 2 के कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने का निर्णय लिया है. प्रॉस्पेक्टस के अनुसार:

क. 1 अप्रैल 2020 से 3 नवंबर 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज के साथ मूलधन राशि का भुगतान 4 नवंबर 2020 को किया जाएगा. बॉण्ड पर कॉल ऑप्शन दिनांक से कोई बाध्यता नहीं होगी.

ख. डिमटीरियलाइज्ड स्वरूप में धारित बॉण्ड्स के लिए रिडेम्पशन की राशि उन्हीं बॉण्डधारकों को अदा की जाएगी जिनके नाम रिडेम्पशन के प्रयोजन से रेकॉर्ड के दिनांक के अनुसार डिपॉज़िटरीज द्वारा बैंक को दिए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर पर होंगे. बॉण्डधारकों की ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है.

ग. कागजी स्वरूप में रखे गए बॉण्ड्स, बैंक ने बॉण्डधारकों द्वारा बॉण्ड प्रमाणपत्रों को 04.10.20 को या पहले समर्पित करने की आवश्यकता के साथ बॉण्ड्स को रिडीम करने का निर्णय किया है और उन्हें रजिस्ट्रार / बैंक के पास पावती के साथ पंजीकृत डाल द्वारा या हस्त प्रेषण के जरिए बॉण्डधारकों द्वारा भेजा जाना चाहिए ताकि समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके. नीचे दी गई प्रक्रिया के अनुसार रिडीम किए जा सकनेवाले बॉण्ड्स के संदर्भ में भुगतान का निर्देश 4 नवंबर 2020 को या डिस्चार्ज किए गए बॉण्ड प्रमाणपत्र की प्राप्ति के दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर, जो भी बाद में हो, दिया जाएगा. रिडेम्पशन की राशि उन बॉण्डधारकों को अदा की जाएगी जिनके नाम बैंक या रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), मे. अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड द्वारा रेकॉर्ड दिनांक को रखे गए बॉण्डधारकों के रजिस्टर में पहले आते हैं. इसीलिए हस्तांतरी, यदि हो, को रेकॉर्ड दिनांक से पहले दस्तावेज हस्तांतरण सुनिश्चित करना चाहिए. यदि रेकॉर्ड दिनांक से पहले बैंक या आरटीए के पास हस्तांतरण दस्तावेज जमा नहीं कराए जाते हैं और बैंक रिडेम्पशन की राशि हस्तांतरणकर्ता को भेज देता है, रिडेम्पशन की राशि के संदर्भ दावों का निपटारा पक्षों के बीच आपसी रूप से किया जाना चाहिए और बैंक या आरटीए के विरूद्ध कोई दावा या कार्रवाई नहीं होगी.

घ. अंतिम देय ब्याज के साथ कॉल ऑप्शन राशि के भुगतान के लिए 'रेकॉर्ड दिनांक' 19.10.2020 होगा.

कॉरपोरेट केंद्र,
स्टेट बैंक भवन,
मैडम कामा रोड,
मुंबई - 400 021.
तिथि: 28 सितंबर, 2020.

(एस. रावी)
महाप्रबंधक
(शेयर्स एंड बॉण्ड्स)